

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद  
अनुसंधान भवन, 2, रफ़ी मार्ग, नई दिल्ली - 110001

सं.: 5-1(814)/2022-पीडी

दिनांक : 23.12.2025


कार्यालय ज्ञापन

**विषय:** सीएसआईआर वैज्ञानिक भर्ती एवं मूल्यांकन पदोन्नति (सीएसआरएपी) नियम, 2025 [सीएसआरएपी नियम, 2025] की अधिसूचना - के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासी निकाय, सीएसआईआर ने दिनांक 28.03.2025 को आयोजित अपनी 208वीं बैठक और दिनांक 15.09.2025 को आयोजित 210वीं बैठक में सीएसआईआर वैज्ञानिक भर्ती एवं मूल्यांकन पदोन्नति (सीएसआरएपी) नियम, 2025 पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया है। अनुमोदित "सीएसआईआर वैज्ञानिक भर्ती एवं मूल्यांकन पदोन्नति (सीएसआरएपी) नियम, 2025" को इस कार्यालय के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 19.11.2025 द्वारा अधिसूचित किया गया है।

2. इस संबंध में "सीएसआईआर वैज्ञानिक भर्ती एवं मूल्यांकन पदोन्नति (सीएसआरएपी) नियम, 2025" का हिन्दी अनुवाद सभी संबंधितों की सूचना, मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न हैं।

3. इस संबंध में यह भी सूचित किया जाता है कि सीएसआईआर वैज्ञानिक भर्ती एवं मूल्यांकन पदोन्नति (सीएसआरएपी) नियम, 2025 के अंग्रेजी संस्करण और इसके हिन्दी अनुवाद के बीच किसी भी विसंगति अथवा असंगति की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण के नियम हमेशा मान्य होंगे।

  
(कुमार राहुल)  
उप सचिव (पीडी)

संलग्न : उपरोक्तनुसार

सेवा में:

- सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान
- अध्यक्ष, आरएबी
- प्रमुख, आरएबी

प्रतिलिपि:

- उपाध्यक्ष, सीएसआईआर का कार्यालय
- महानिदेशक, सीएसआईआर का कार्यालय
- संयुक्त सचिव (प्रशासन), सीएसआईआर का कार्यालय
- वित्तीय सलाहकार, सीएसआईआर का कार्यालय
- मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीएसआईआर का कार्यालय
- कानूनी सलाहकार, सीएसआईआर का कार्यालय
- संस्थानों / मुख्यालयों / इकाइयों के वरिष्ठ उपसचिव / वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक / उपसचिव / प्रशासन नियंत्रक / अवर सचिव / प्रशासनिक अधिकारी
- संस्थानों / मुख्यालय / इकाइयों के वरिष्ठ उप वित्तीय सलाहकार/वरिष्ठ वित्त नियंत्रक/उप वित्तीय सलाहकार/ वित्त नियंत्रक/ वित्त एवं लेखा अधिकारी
- उपसचिव (निदेशक भर्ती प्रकोष्ठ)
- अवर सचिव (समिति अनुभाग)
- सीएसआईआर वेबसाइट
- कार्यालय प्रति



भारत का नियाचर इंजिन  
The Innovation Engine of India

# सीएसआईआर वैज्ञानिक भर्ती एवं मूल्यांकन पदोन्नति नियमावली, 2025

सीएसआरएपी नियमावली, 2025



2025

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद  
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली

## भाग-I: प्रस्तावना

### 1. अधिनियमः

सीएसआईआर के शासी निकाय ने सीएसआईआर के नियमों और विनियमों तथा उपविधियों की उपविधि 11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीएसआईआर में वैज्ञानिक पदों हेतु निम्नलिखित भर्ती एवं मूल्यांकन नियम बनाए हैं।

### 2. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभः

- (क) इस नियमावली को सीएसआईआर वैज्ञानिक भर्ती एवं मूल्यांकन पदोन्नति नियमावली, 2025 [सीएसआरएपी नियमावली, 2025] कहा जाएगा।
- (ख) ये नियमावली वैज्ञानिकों की भर्ती और मूल्यांकन पदोन्नति के संबंध में दिनांक 01.01.2026 से लागू होगी।

### 3. नियमावली का विस्तार/अनुप्रयोज्यता:

यह नियमावली सीएसआईआर में वैज्ञानिक स्टाफ (वैज्ञानिक-बी से वैज्ञानिक-जी) के पदों पर भर्ती और मूल्यांकन पदोन्नति के संबंध में लागू होगी।

### 4. परिभाषाएः

जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में: -

- (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्राय है 'नियम 7' में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी।
- (ख) "उपयुक्त स्तर" से अभिप्राय है किसी विशेषज्ञ की स्थिति जो पेशेवर ओहदा/पद धारण करता है तथा जिसका वेतन उस पद, जिसके लिए भर्ती/मूल्यांकन किया जा रहा है, से कम से कम एक स्तर उच्च है।
- (ग) "मूल्यांकन समिति" से अभिप्राय है 'नियम 18' के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समिति।
- (घ) "मूल्यांकन वर्ष" से अभिप्राय है किसी वर्ष की 1 जनवरी से 31 दिसम्बर के बीच की अवधि।
- (ङ) "बोर्ड" से अभिप्राय कि इस नियमावली के भाग-IV के 'नियम 19' के अंतर्गत परिभाषित सीएसआईआर द्वारा स्थापित भर्ती एवं मूल्यांकन बोर्ड (आरएबी) से है।
- (च) "परिषद" से अभिप्राय है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)।
- (छ) "क्लस्टर" से अभिप्राय व्यापक अनुसंधान एवं विकास क्षेत्रों से है जिसमें परिषद अनुसंधान और विकास कर रही है, जैसे जीव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी; रसायन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; पदार्थ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; भौतिक, पृथक् एवं पर्यावरणीय विज्ञान; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन और नीति संबंधी अध्ययन (पॉलिसी स्टडीज)।

- (ज) "विषय" से अभिप्राय सीएसआईआर के अनुसंधान एवं विकास क्लस्टर के मुख्य और/अथवा महत्वपूर्ण क्षेत्रों से है, जिसमें वैज्ञानिकों की भर्ती और मूल्यांकन किया जाता है।
- (झ) "मूल्यांकन की नियत तारीख" से अभिप्राय उस तारीख से है जिस दिन वैज्ञानिक अपनी रेजीडेंसी अवधि पूरी होने पर मूल्यांकन पदोन्नति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र हो जाते हैं।
- (ञ) "मूल्यांकन हेतु पात्रता" से अभिप्राय है पीएमएस/एपीएआर स्कोर का न्यूनतम औसत प्रतिशत और निर्धारित रेजीडेंसी अवधि जैसा कि 'नियम 16' में विनिर्दिष्ट है, जिसे एक वैज्ञानिक द्वारा अगले उच्च पद/स्तर पर उसकी मूल्यांकन पदोन्नति की दृष्टि से विचार किए जाने हेतु पात्र होने के लिए प्राप्त करना आवश्यक है।
- (ट) "सरकार" से अभिप्राय भारत सरकार से है।
- (ठ) "स्तर" से अभिप्राय इस नियमावली के 'नियम 5 (ख)' के अंतर्गत विनिर्दिष्ट उस पद से जुड़े वेतन स्तर से है।
- (ड) "अध्यक्ष" से अभिप्राय सीएसआईआर के अध्यक्ष से है।
- (ढ) "रेजीडेंसी अवधि" से अभिप्राय उस समयावधि से है जिसमें एक वैज्ञानिक इस नियमावली के 'नियम 14(ए)' के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अगले उच्च पद/वेतन स्तर हेतु मूल्यांकन किए जाने की पात्रता प्राप्त करता है।
- (ण) "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों" का वही अर्थ होगा जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और (25) में क्रमशः उन्हें प्रदान किया गया है।
- (त) "वैज्ञानिक" से अभिप्राय एक भारतीय नागरिक से है, जिन्हें अनुसंधान एवं विकास हेतु परिषद में वैज्ञानिक पद पर भर्ती एवं नियुक्त किया जाता है और जिनसे विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी ज्ञान के अनुसंधान/डिज़ाइन/विकास/योजना/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय ज्ञान के अनुप्रयोग/विस्तार/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय गतिविधियों के निष्पादन द्वारा नवीन ज्ञान/विधियों/तकनीकों/नीतियों के नवप्रवर्तन, निर्माण, परिनियोजन, सृजन, परीक्षण, उन्नयन, विकास, प्रसारण, प्रचारण, प्रबन्धन, क्रियान्वयन, समन्वयन तथा संरक्षण की अपेक्षा की जाती है।
- (थ) "सेवा" से अभिप्राय सीएसआईआर में सेवा से है।
- (द) "भर्ती के लिए छानबीन समिति (स्क्रीनिंग कमेटी)" से अभिप्राय है 'नियम 10' के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समिति।
- (ध) "भर्ती के लिए चयन समिति" से अभिप्राय है 'नियम 11' के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समिति।

- (न) "उपाध्यक्ष" से अभिप्राय सीएसआईआर के उपाध्यक्ष से है।
- (प) "कार्य रिपोर्ट" से अभिप्राय वैज्ञानिक द्वारा अपनी रेजीडेंसी अवधि के दौरान किए गए समस्त कार्यों का रिकॉर्ड है, जिसे सीएसआईआर द्वारा समय-समय पर तैयार किए गए फॉर्मेट पर प्रस्तुत किया जाना है।
- ❖ **नोट:** इन नियमों के अंतर्गत अपरिभाषित अन्य सभी शब्दों और संक्षिप्तियों का वही अभिप्राय तथा परिभाषा/व्याख्या होगी जैसी परिषाभा/व्याख्या सीएसआईआर के नियमों और विनियमों तथा उपविधियों, अथवा सीएसआईआर के कर्मचारियों पर लागू किसी अन्य नियमों में दी गई है।

## भाग-II: भर्ती

### 5. भर्ती:

- (क) सीएसआईआर प्रत्येक प्रयोगशाला/संस्थान और सीएसआईआर मुख्यालय को आवंटित स्वीकृत क्षमता के अंतर्गत रिक्तियों के लिए अपने वैज्ञानिकों की भर्ती करेगा।
- (ख) इस नियमावली के अंतर्गत आने वाले वैज्ञानिकों के पद और वेतनमान निम्नानुसार होंगे:

क्रमांक	पदनाम/पद	वेतन स्तर (7वां केन्द्रीय वेतन आयोग)
1.	वैज्ञानिक-बी	लेवल-10
2.	वैज्ञानिक-सी	लेवल-11
3.	वैज्ञानिक-डी	लेवल-12
4.	वैज्ञानिक-ई	लेवल-13
5.	वैज्ञानिक-एफ	लेवल-13-ए
6.	वैज्ञानिक-जी	लेवल-14

- (ग) भर्ती एवं मूल्यांकन बोर्ड (आरएबी), सीएसआईआर की केंद्रीकृत भर्ती एजेंसी/निकाय के रूप में कार्य करता है। सभी स्तरों पर वैज्ञानिकों की भर्ती की संपूर्ण प्रक्रिया आरएबी द्वारा की जाएगी। इस नियमावली के भाग-IV में आरएबी के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई है, जिसमें इसके गठन, शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व आदि शामिल हैं।
- (घ) 'वैज्ञानिक-बी' की भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर खुली प्रतियोगी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से की जाएगी। अंतिम मेरिट सूची लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में अर्जित कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। तथापि, कुल अंकों में से खुली प्रतियोगी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए क्रमशः 70% एवं 30% अंक निर्धारित किए जाएंगे। साक्षात्कार के लिए लघुसूचीबद्ध (शॉर्टलिस्ट) किए गए उम्मीदवारों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आरएबी लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित करेगा।
- (ङ) 'वैज्ञानिक-सी' और उससे उच्च पदों पर भर्ती केवल साक्षात्कार के आधार पर और सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों के परामर्श से की जाएगी। अंतिम मेरिट सूची साक्षात्कार में अर्जित कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।
- (च) संबंधित प्रयोगशाला/संस्थान अपनी अनुसंधान परिषद (आरसी)/महानिदेशक (सीएसआईआर मुख्यालय के मामले में) की सिफारिश के आधार पर वैज्ञानिक पदों की आवश्यकता को भर्ती एवं मूल्यांकन बोर्ड (आरएबी) के समक्ष रखेंगे।

**(छ) भर्ती सामान्यतः** वैज्ञानिकों के स्वीकृत पदों के स्तर पर की जाएगी। जहाँ भी आवश्यकता हो, निदेशक के विशेष अनुरोध पर, अनुसंधान परिषद (आरसी) और महानिदेशक, सीएसआईआर की अनुशंसा पर, व्यय विभाग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार, उच्च स्तर पर भर्ती की जा सकती है। सीएसआईआर मुख्यालय के मामले में, यह प्रभाग प्रमुख और महानिदेशक, सीएसआईआर की अनुशंसा पर, व्यय विभाग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार की जाएगी।

**(ज)** सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए सीएसआईआर की सभी प्रयोगशालाएं/संस्थान सम्पर्क एवं बातचीत के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल रहेंगे।

## 6. पदों का रख-रखाव

**(क)** सभी स्वीकृत पद व्यय विभाग के अनुमोदन से सीएसआईआर द्वारा निर्धारित स्तर के होंगे। तथापि, प्रत्येक स्तर पर स्वीकृत पदों के अतिरिक्त पदों का उन्नयन, भारत सरकार के व्यय विभाग के अनुदेशों के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, मामला-दर-मामला आधार (केस टू-केस बेसिस) पर किया जाएगा।

**(ख)** सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र आदि के कारण किसी भी स्तर पर रिक्तियां उसी स्तर पर वापस आ जाएंगी जिसमें पद प्रारंभ में चिन्हित किया गया था।

**(ग)** किसी व्यक्ति को वर्तमान स्तर से अगले उच्च स्तर पर पदोन्नत किए जाने पर कोई रिक्ति सृजित नहीं होगी।

## 7. नियुक्ति प्राधिकारी:

**(क)** सीएसआईआर मुख्यालय में वैज्ञानिक-एफ तक के वैज्ञानिक पदों के लिए महानिदेशक, सीएसआईआर नियुक्ति प्राधिकारी होंगे।

**(ख)** सीएसआईआर की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों में वैज्ञानिक-एफ तक के वैज्ञानिक पदों के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक नियुक्ति प्राधिकारी होंगे।

**(ग)** सीएसआईआर के उपाध्यक्ष, सीएसआईआर में सभी वैज्ञानिक-जी पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होंगे।

**8. आवश्यक अर्हताएं – सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हता, अनुभव एवं अधिकतम आयु सीमा:**

वैज्ञानिक पदों के विभिन्न स्तरों पर सीधी भर्ती के लिए वर्ग/विषयवार न्यूनतम आवश्यक अर्हताएं जैसे शैक्षणिक अर्हता, अनुभव और अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार होगी:

**(i) वैज्ञानिक-बी (लेवल-10):**

वर्ग/विषय	आवश्यक अर्हता		अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)
	शैक्षणिक अर्हता	अनुभव (वर्षों में)	
विज्ञान	: एम.एससी अथवा समकक्ष		
अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग)	: बीई/बी.टेक/बीएस(इंजीनियरिंग)/बीएससी(इंजीनियरिंग) अथवा समकक्ष		
चिकित्सा (मेडिकल)	: एमबीबीएस/बीएमएस/बीएचएमएस/बीएसएमएस/बीयूएमएस अथवा समकक्ष		
फार्मा	: बी. फार्मा अथवा समकक्ष		
पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन	: बीवीएससी एवं एएच अथवा समकक्ष		
कृषि	: एम.एससी (कृषि) अथवा समकक्ष	शून्य	32
सूचना प्रौद्योगिकी	: बीई/बी.टेक (आईटी/सीएस), अथवा एमएससी (आईटी/सीएस)/एमसीए (विज्ञान इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी में बैचलर/ग्रेजुएट डिग्री के साथ) अथवा समकक्ष		
प्रबंधन विज्ञान (मैनेजमेंट सांइंस)	एमबीए (विज्ञान/ इंजीनियरिंग /टेक्नोलॉजी में बैचलर/ग्रेजुएट डिग्री के साथ ) अथवा समकक्ष		

(ii) वैज्ञानिक-सी (लेवल- 11):

वर्ग/विषय	आवश्यक अर्हता		अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)
	शैक्षणिक अर्हता	अनुभव (वर्षों में)	
विज्ञान	: पीएच.डी. ( विज्ञान) अथवा समकक्ष		
अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग)	: एमई/ एम.टेक /एमएस (इंजीनियरिंग) / एम.एससी (इंजीनियरिंग) अथवा समकक्ष		
चिकित्सा (मेडिकल)	: एमडी अथवा समकक्ष		
फार्मा	: एम. फार्मा अथवा समकक्ष		
पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन	: एम.वी.एससी एवं एएच अथवा समकक्ष		
कृषि	: पीएच.डी. (कृषि) अथवा समकक्ष		
सूचना प्रौद्योगिकी	: एमई/एम.टेक (आईटी/सीएस) अथवा समकक्ष अथवा एमएससी (आईटी/सीएस) /एमसीए),(विज्ञान/इंजी नियरिंग/टेक्नोलॉजी में बैचलर/ग्रेजुएट डिग्री के साथ) अथवा समकक्ष		शून्य
प्रबंधन विज्ञान (मैनेजमेंट साइंस)	: पीएच.डी. (मैनेजमेंट) अथवा समकक्ष (विज्ञान/इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी में बैचलर/ ग्रेजुएट डिग्री के साथ)		35

(iii) वैज्ञानिक-डी ( लेवल- 12 ) :

वर्ग/विषय	आवश्यक अर्हता		अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)
	शैक्षणिक अर्हता	अनुभव (वर्षों में)	
विज्ञान	: पीएच.डी. ( विज्ञान ) अथवा समकक्ष	3	
अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग)	: एमई/ एम.टेक /एमएस (इंजीनियरिंग)/ एम.एससी . (इंजीनियरिंग) अथवा समकक्ष	3	
	: पीएच.डी. (इंजीनियरिंग) अथवा समकक्ष	शून्य	
चिकित्सा (मेडिकल)	: एमडी अथवा समकक्ष	3	
	: एमबीबीएस + पीएचडी अथवा समकक्ष	शून्य	
फार्मा	: एम. फार्मा अथवा समकक्ष	3	
	: पीएच.डी. ( फार्मा ) अथवा समकक्ष	शून्य	
पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन	: एम.वी.एससी एवं एच अथवा समकक्ष	3	40
	: पीएच.डी. (पशु चिकित्सा विज्ञान) अथवा समकक्ष	शून्य	
कृषि	: पीएच.डी. (कृषि) अथवा समकक्ष	3	
सूचना प्रौद्योगिकी	: एमई/एम.टेक (आईटी/सीएस) अथवा समकक्ष	3	
	: पीएच.डी. अथवा समकक्ष	शून्य	
प्रबंधन विज्ञान (मैनेजमेंट साइंस)	: पीएच.डी. (मैनेजमेंट)अथवा समकक्ष (विज्ञान/इंजीनियरिंग/ टेक्नोलॉजी में बैचलर/ग्रेजुएट डिग्री के साथ)	3	

(iv) वैज्ञानिक-ई (लेवल- 13):

वर्ग/विषय	आवश्यक अर्हता		अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)
	शैक्षणिक अर्हता	अनुभव (वर्षों में)	
विज्ञान	: पीएच.डी. ( विज्ञान ) अथवा समकक्ष	6	
अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग)	: पीएच.डी. ( इंजीनियरिंग ) अथवा समकक्ष	3	
चिकित्सा (मेडिकल)	: एमडी अथवा समकक्ष	6	
	: एमबीबीएस + पीएचडी अथवा समकक्ष	3	
फार्मा	: एम. फार्मा अथवा समकक्ष	6	
	: पीएच.डी. (फार्मा) अथवा समकक्ष	3	
पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन	: एम.वी.एससी एवं एएच अथवा समकक्ष	6	45
	: पीएच.डी. (पशु चिकित्सा विज्ञान) अथवा समकक्ष	3	
कृषि	: पीएच.डी. (कृषि) अथवा समकक्ष	6	
सूचना प्रौद्योगिकी	: पीएच.डी. (आईटी/सीएस) अथवा समकक्ष	3	
प्रबंधन विज्ञान (मैनेजमेंट साइंस)	: पीएच.डी. (मैनेजमेंट) अथवा समकक्ष (विज्ञान/इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी में बैचलर/ग्रेजुएट डिग्री के साथ)	6	

(v) वैज्ञानिक-एफ (लेवल-13ए):

वर्ग/ विषय	आवश्यक अर्हता		अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)
	शैक्षणिक अर्हता (ईक्यू)	अनुभव (वर्षों में)	
विज्ञान	: पीएच.डी. (विज्ञान) अथवा समकक्ष	10	
अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग)	: पीएच.डी. (इंजीनियरिंग) अथवा समकक्ष	7	
चिकित्सा (मेडिकल)	: एमडी अथवा समकक्ष	10	50
	: एमबीबीएस + पीएच.डी अथवा समकक्ष	7	
फार्मा	: पीएच.डी. (फार्मा) अथवा समकक्ष	7	
पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन	: पीएच.डी. (पशु चिकित्सा विज्ञान) अथवा समकक्ष	7	
कृषि	: पीएच.डी (कृषि) अथवा समकक्ष	10	
सूचना प्रौद्योगिकी	: पीएचडी (आईटी/सीएस) अथवा समकक्ष (विज्ञान/इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी में बैचलर/ग्रेजुएट डिग्री के साथ)	7	
प्रबंधन विज्ञान (मैनेजमेंट साइंस)	: पीएच.डी. (मैनेजमेंट) अथवा समकक्ष (विज्ञान/इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी में बैचलर/ग्रेजुएट डिग्री के साथ)	10	

(vi) अनुभव की अवधि : जहां आवश्यक हो, अपेक्षित विषय/कार्य क्षेत्र में अनुभव की अवधि उस तारीख से गिनी जाएगी, जिस तारीख को ग्रेड के लिए निर्धारित की गई आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अर्जित की गई हो।

## **9. भर्ती प्रक्रिया:**

### **(i) वैज्ञानिक-बी के लिए:**

- (क) वैज्ञानिक-बी पदों की रिक्तियों के साथ-साथ उनकी आरक्षण स्थिति प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा उनके अनुसंधान परिषद (आरसी) के अनुमोदन के साथ अथवा सीएसआईआर मुख्यालय द्वारा महानिदेशक, सीएसआईआर के अनुमोदन के साथ भर्ती एवं मूल्यांकन बोर्ड को सूचित की जाएगी।
- (ख) प्रयोगशाला/संस्थान/सीएसआईआर मुख्यालय भर्ती एवं मूल्यांकन बोर्ड द्वारा विज्ञापित किए जाने वाले प्रत्येक प्रस्तावित पद के विषय/क्षेत्र को भी विनिर्दिष्ट करेगा।
- (ग) वैज्ञानिक-बी के रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन भर्ती एवं मूल्यांकन बोर्ड में प्राप्त किए जाएंगे।
- (घ) वैज्ञानिक-बी के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती एवं मूल्यांकन बोर्ड द्वारा दो चरणों में भर्ती की जाएगी:
- (i) लिखित परीक्षा और
  - (ii) साक्षात्कार
- (ङ) लिखित परीक्षा के आधार पर चयन समिति प्रत्येक विज्ञापित पद के लिए साक्षात्कार हेतु न्यूनतम 03 (तीन) और अधिकतम 12 (बारह) उम्मीदवारों को लघुसूचीबद्ध (शॉर्टलिस्ट) करेगी।
- (च) चयन समिति लघुसूचीबद्ध (शॉर्टलिस्ट) किए गए उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेगी तथा प्रत्येक विज्ञापित पद के लिए योग्यता क्रम में (i) अनुशंसित तथा (ii) प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवारों के पैनल की अनुशंसा करेगी।
- (छ) “कट-ऑफ अंक” चयन समिति द्वारा तय किया जाएगा और उसकी ‘कार्यवाही’ में तत्संबंधी उल्लेख किया जाएगा।
- (ज) सफल उम्मीदवारों के पैनल की घोषणा ‘चयन समिति की कार्यवाही’ के अनुसार अध्यक्ष, आरएबी के अनुमोदन से भर्ती एवं मूल्यांकन बोर्ड द्वारा की जाएगी। तत्पश्चात सफल उम्मीदवारों के सभी प्रासंगिक दस्तावेज सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी, अर्थात प्रयोगशाला/संस्थान के निदेशक अथवा सीएसआईआर के महानिदेशक (जैसा भी मामला हो) को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उचित कार्रवाई किए जाने हेतु नियुक्ति पत्र जारी करने से पूर्व भेजे जाएंगे।

### **(ii) वैज्ञानिक-सी और उससे उच्च पदों हेतु :**

- (क) वैज्ञानिक-सी (लेवल-11) और उससे उच्च पदों की रिक्तियां, तथा उनकी आरक्षण स्थिति, यदि लागू हो, प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा उनकी अनुसंधान परिषद के अनुमोदन से अथवा सीएसआईआर मुख्यालय द्वारा महानिदेशक, सीएसआईआर के अनुमोदन से भर्ती एवं मूल्यांकन बोर्ड को सूचित की जाएंगी।

- (ख) वैज्ञानिक-सी और उससे उच्च रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन भर्ती एवं मूल्यांकन बोर्ड में प्राप्त किए जाएंगे।
- (ग) वैज्ञानिक-सी और उससे उच्च रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती एवं मूल्यांकन बोर्ड द्वारा दो चरणों में भर्ती की जाएगी:
- (i) "छानबीन समिति" द्वारा उम्मीदवारों को लघुसूचीबद्ध (शॉर्टलिस्ट) किया जाना।
  - (ii) इसके बाद "चयन समिति" द्वारा लघुसूचीबद्ध (शॉर्टलिस्टेड) उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार लिया जाना।
- (घ) चयन समिति लघुसूचीबद्ध (शॉर्टलिस्टेड) उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेगी तथा विज्ञापित प्रत्येक पद के लिए योग्यता क्रम में (i) अनुशंसित तथा (ii) प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवारों के पैनल की अनुशंसा करेगी।
- (ङ) "कट-ऑफ अंक" चयन समिति द्वारा तय किया जाएगा और उसकी 'कार्यवाही' में तत्संबंधी उल्लेख किया जाएगा।
- (च) सफल उम्मीदवारों के पैनल की घोषणा 'चयन समिति की कार्यवाही' के अनुसार अध्यक्ष, आरएबी के अनुमोदन से भर्ती एवं मूल्यांकन बोर्ड द्वारा की जाएगी। तत्पश्चात सफल उम्मीदवारों के सभी प्रासंगिक दस्तावेज सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी, अर्थात प्रयोगशाला/संस्थान के निदेशक अथवा सीएसआईआर के महानिदेशक (जैसा भी मामला हो) को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उचित कार्रवाई किए जाने हेतु नियुक्ति पत्र जारी करने से पूर्व भेजे जाएंगे।
- (iii) विशेष शर्तेः
- (क) प्रयोगशाला/संस्थान के कार्यकारी निदेशक, एक कैलेंडर वर्ष में केवल प्रवेश स्तर पर मौजूदा रिक्तियों के 10% तक वैज्ञानिकों की भर्ती के लिए प्रस्ताव भेज सकते हैं।

## 10. भर्ती के लिए छानबीन समिति:

(क) वैज्ञानिक-सी और उससे उच्च पदों पर भर्ती के लिए छानबीन समिति का गठन भर्ती एवं मूल्यांकन बोर्ड द्वारा महानिदेशक, सीएसआईआर के अनुमोदन से निम्नानुसार किया जाएगा:

क्रम सं.	संगठन	भूमिका
1.	सहयोगी प्रयोगशाला/संस्थान/सीएसआईआर मुख्यालय से प्रासांगिक विषय/क्षेत्र का एक वैज्ञानिक।	अध्यक्ष
2.	संबंधित सीएसआईआर प्रयोगशाला/संस्थान/सीएसआईआर मुख्यालय से आंतरिक विशेषज्ञ के रूप में समान विषय/क्षेत्र का एक वैज्ञानिक।	सदस्य
3.	सहयोगी प्रयोगशाला/संस्थान/सीएसआईआर मुख्यालय से बाह्य विशेषज्ञ के रूप में समान विषय/क्षेत्र का एक वैज्ञानिक।	सदस्य
4.	प्रयोगशाला/संस्थान के निदेशक या उनके द्वारा नामित व्यक्ति/सीएसआईआर मुख्यालय के मामले में महानिदेशक, सीएसआईआर द्वारा नामित व्यक्ति।	सदस्य

### ❖ नोट्स:

- (i) अध्यक्ष, वैज्ञानिक-एफ के पद से नीचे का नहीं होगा।
- (ii) सदस्य(सदस्यों) का पद विज्ञापित पद से कम से कम एक स्तर उच्च होगा।
- (iii) भारत सरकार/सीएसआईआर के मौजूदा आदेशों और अनुदेशों के अनुसार उपयुक्त स्तर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं के प्रतिनिधियों को सहयोगित किया जाएगा।

**कोरम:** अध्यक्ष तथा दो सदस्य, जिनमें से एक बाह्य विशेषज्ञ होगा।

(ख) समिति प्राप्त आवेदनों की छानबीन करेगी। छानबीन समिति निर्धारित तारीख तक प्राप्त आवेदनों की छानबीन और उन्हें लघुसूचीबद्ध (शॉर्टलिस्ट) करने के लिए निम्नांकित प्रक्रिया का पालन करेगी:

- (i) विज्ञापन के अनुसार निर्धारित आयु, शैक्षणिक अर्हता और अनुभव पूरा न करने वाले सभी आवेदनों को छानकर अलग करने और जाँच करने के लिए प्राथमिक छानबीन करना।
- (ii) विज्ञापित पद की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए छानबीन समिति द्वारा तैयार किए गए छानबीन संबंधी मानदंडों के आधार पर पात्र आवेदनों को लघुसूचीबद्ध (शॉर्टलिस्ट) करने के लिए द्वितीयक छानबीन करना।

- (ग) यदि आवश्यक हो, तो वैज्ञानिक-सी और उससे उच्च पदों के लिए छानबीन समिति साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को लघुसूचीबद्ध (शॉर्टलिस्ट) किए जाने की दृष्टि से एक लिखित परीक्षा और/अथवा सेमिनार/प्रस्तुतिकरण का आयोजन करेगी।
- (घ) वैज्ञानिक-सी और उससे उच्च पदों के लिए छानबीन समिति साक्षात्कार हेतु प्रत्येक पद के लिए **न्यूनतम 03 (तीन)** और **अधिकतम 12 (बारह)** उम्मीदवारों को लघुसूचीबद्ध (शॉर्टलिस्ट) करेगी।
- (ङ) छानबीन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भर्ती एवं मूल्यांकन बोर्ड द्वारा छानबीन समिति के परिणाम को छानबीन संबंधी मानदंडों के साथ अधिसूचित किया जाएगा।

#### 11. भर्ती के लिए चयन समिति:

- (क) वैज्ञानिक बी से वैज्ञानिक-एफ तक की भर्ती के लिए 'चयन समिति' का गठन निम्नानुसार होगा:

क्रम सं.	संगठन	भूमिका
1.	भर्ती एवं मूल्यांकन बोर्ड के अध्यक्ष। [तथापि, आरएबी के अध्यक्ष स्वयं द्वारा बनाए गए तथा सीएसआईआर के उपाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित सह-अध्यक्षों के पैनल में से किसी एक व्यक्ति को अपने स्थान पर चयन समिति का अध्यक्ष नामित कर सकते हैं]।	अध्यक्ष
2.	दो बाह्य विशेषज्ञ	सदस्य
3.	एक विभागीय कोर (सीएसआईआर) विशेषज्ञ	सदस्य
4.	प्रयोगशाला/संस्थान के निदेशक या उनके द्वारा नामित व्यक्ति/सीएसआईआर मुख्यालय के मामले में महानिदेशक, सीएसआईआर द्वारा नामित व्यक्ति।	सदस्य
<b>❖ नोट्स:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) उपयुक्त स्तर के बाह्य विशेषज्ञों को भर्ती एवं मूल्यांकन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा।</li> <li>(ii) विभागीय विशेषज्ञ सदस्य को महानिदेशक, सीएसआईआर द्वारा नामित किया जाएगा।</li> <li>(iii) भारत सरकार/सीएसआईआर के मौजूदा आदेशों एवं अनुदेशों के अनुसार उपयुक्त स्तर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाओं के प्रतिनिधियों को सहयोगित किया जाएगा।</li> </ul> <p>■ <b>कोरम:</b> चयन समिति की बैठक के लिए कोरम अध्यक्ष सहित तीन (3) सदस्यों का है।</p>		

- (ख) लघुसूचीबद्ध (शॉर्टलिस्टेड) उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलावा पत्र (कॉल लेटर) भर्ती एवं मूल्यांकन बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा।

- (ग) चयन समिति की बैठकें सामान्यतः भर्ती एवं मूल्यांकन बोर्ड (आरएबी) में आयोजित की जाएंगी । तथापि, आरएबी चयन समिति की बैठकों का आयोजन आरएबी के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर भी कर सकता है ।
- (घ) चयन समिति लघुसूचीबद्ध (शॉर्टलिस्टेड) उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेगी तथा प्रत्येक विज्ञापित पद के लिए योग्यता क्रम में (i) अनुशंसित तथा (ii) प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवारों के पैनल की अनुशंसा करेगी ।
- (ङ) "कट-ऑफ अंक" चयन समिति द्वारा तय किए जाएंगे और उसकी 'कार्यवाही' में तत्संबंधी उल्लेख किया जाएगा ।
- (च) सफल उम्मीदवारों के पैनल की घोषणा 'चयन समिति की कार्यवाही' के अनुसार अध्यक्ष, आरएबी के अनुमोदन से भर्ती एवं मूल्यांकन बोर्ड द्वारा की जाएगी । तत्पश्चात सफल उम्मीदवारों के सभी प्रासंगिक दस्तावेज सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी, अर्थात प्रयोगशाला/संस्थान के निदेशक अथवा सीएसआईआर के महानिदेशक (जैसा भी मामला हो) को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उचित कार्रवाई किए जाने हेतु नियुक्ति पत्र जारी करने से पूर्व भेजे जाएंगे ।
- (छ) चयन समिति, वैज्ञानिक पदों के लिए भर्ती एवं मूल्यांकन बोर्ड द्वारा स्वीकृत किसी भी डिजिटल/ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विदेश में रहने वाले/विदेश भ्रमण पर गए भारतीय राष्ट्रीयता के उम्मीदवारों पर विचार कर सकती है । ऐसे डिजिटल/ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग साक्षात्कार का रिकॉर्ड कार्यवाही में दर्ज किया जाना चाहिए । "अनुपस्थिति में चयन" की अनुमति नहीं होगी ।
- (ज) चयन समिति प्रत्येक विज्ञापित पद अथवा पदों के समूह के लिए योग्यता क्रम में उम्मीदवारों के एक पैनल की सिफारिश करेगी ।
- (i) यह पैनल चयन समिति की बैठक की तारीख से एक वर्ष तक वैध रहेगा । इस पैनल का परिचालन नियुक्ति-पूर्व औपचारिकताओं को पूरा करने और उसके बाद अधिसूचित रिक्तियों तक नियुक्ति जारी करने के लिए किया जाएगा ।
  - (ii) असाधारण मामलों में, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विस्तार के कारणों को दर्ज करने के पश्चात, इस पैनल को अधिकतम छह माह की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है ।
  - (iii) यदि कोई उम्मीदवार जिसे नियुक्ति प्रस्ताव जारी हुआ है, प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता है अथवा निर्धारित तारीख तक कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, अथवा कार्यभार ग्रहण करता है, लेकिन कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर वह त्यागपत्र दे देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है और यदि उस समय तक नया पैनल उपलब्ध नहीं है, तो प्रतीक्षा सूची पैनल के किसी उम्मीदवार, यदि कोई हो, को पद प्रदान किया जा सकता है ।

12. आयु एवं शैक्षणिक अर्हता में छूट:

- (क) सीएसआईआर में वैज्ञानिकों की भर्ती केवल सीएसआईआर द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचित भर्ती नियमों/अनुदेशों/आदेशों के आधार पर ही की जाएगी। शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
- (ख) इन नियमों की कोई भी बात अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के संबंध में केन्द्र सरकार/सीएसआईआर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।
- (ग) सीएसआईआर/सरकारी/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को इस संबंध में सीएसआईआर द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
- (घ) यदि बैंचमार्क दिव्यांगता वाला कोई व्यक्ति सीएसआईआर/केन्द्र सरकार/स्वायत्त निकाय/ सार्वजनिक क्षेत्र का कर्मचारी होने के कारण आयु में रियायत का हकदार है, तो उसके लिए या तो 'दिव्यांग व्यक्ति' के रूप में या 'केन्द्र सरकार के कर्मचारी' के रूप में, जो भी उसके लिए अधिक लाभकारी हो, रियायत स्वीकार्य होगी।
- (ङ) इन नियमों के अंतर्गत आयु सीमा में प्रदान की गई अन्य छूटों के अतिरिक्त, वैज्ञानिक पदों पर नियुक्ति हेतु महिला उम्मीदवारों को आयु सीमा में 3 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
- तथापि, सीधी भर्ती के पदों के लिए अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (च) सीएसआईआर द्वारा गठित समिति की सिफारिश के आधार पर केवल वैज्ञानिक सी, वैज्ञानिक डी, वैज्ञानिक ई और वैज्ञानिक एफ के मामले में महानिदेशक, सीएसआईआर उम्मीदवारों को आयु में छूट प्रदान कर सकते हैं।

## भाग-III: मूल्यांकन पदोन्नति

### 13. फ़ेलिसबल कॉम्प्लीमेंटिंग स्कीम:

- (क) इस नियमावली के अंतर्गत सीएसआईआर में वैज्ञानिक-एफ तक के सभी वैज्ञानिकों की एक ग्रेड से अगले उच्च ग्रेड तक पदोन्नति फ़ेलिसबल कॉम्प्लीमेंटिंग आधार पर होगी।
- (ख) अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति स्वस्थाने (यथास्थान) होगी तथा वैज्ञानिक द्वारा धारित पद संबंधित वैज्ञानिक के वैयक्तिक पद के रूप में स्वतः ही अगले उच्च पद/स्तर पर अपग्रेड हो जाएगा।
- (ग) वैज्ञानिक द्वारा वैज्ञानिक पद छोड़े जाने पर, वह पद स्वतः ही उस पद/स्तर पर वापस आ जाएगा जिस पर वह प्रारंभ में निर्धारित किया गया था।
- (घ) उच्च पद/स्तर पर मूल्यांकन का तात्पर्य आवश्यक रूप से उच्च सुविधाओं, जैसे कि कार्यालय स्थान, टेलीफोन, आशुलिपिक सहायता, फर्नीचर आदि, से नहीं है, जो समय-समय पर जारी प्रासंगिक अनुदेशों के अधीन कार्यात्मक आवश्यकताओं पर निर्भर रहेंगी।
- (ङ) मूल्यांकन डीपीसी प्रणाली के अंतर्गत पदोन्नति से भिन्न है और इसके परिणामस्वरूप कार्य करने के तरीके या उच्च पर्यवेक्षी स्थिति या अधिकार में बदलाव होना आवश्यक नहीं है, तथापि इससे उच्च स्तर के वैज्ञानिक और/अथवा तकनीकी निष्पादन की अपेक्षा की जाती है।
- (च) वैज्ञानिकों का समग्र मूल्यांकन/पदोन्नति उत्तरव्यापी तारीख से होगी।
- (छ) इन नियमों के अंतर्गत पदोन्नति के लिए पात्र पाए गए वैज्ञानिकों के मूल्यांकन/पदोन्नति की प्रभावी तारीख वह तारीख होगी, जिस दिन वैज्ञानिक पदोन्नत ग्रेड/पद का कार्यभार ग्रहण करेगा।

### 14. मूल्यांकन पदोन्नति के लिए रेजीडेंसी अवधि:

- अ. मूल्यांकन के लिए विचार हेतु किसी ग्रेड/पद में पूरी की जाने वाली न्यूनतम रेजीडेंसी अवधि निम्नानुसार होगी:

पद नाम	न्यूनतम रेजीडेंसी अवधि
वैज्ञानिक-बी (लेवल-10) से वैज्ञानिक-सी (लेवल-11)	3 वर्ष
वैज्ञानिक-सी (लेवल-11) से वैज्ञानिक-डी (लेवल-12)	4 वर्ष
वैज्ञानिक-डी (लेवल-12) से वैज्ञानिक-ई (लेवल-13)	4 वर्ष
वैज्ञानिक-ई (लेवल-13) से वैज्ञानिक-एफ (लेवल-13ए)	5 वर्ष
वैज्ञानिक-एफ (लेवल-13ए) से वैज्ञानिक-जी (लेवल-14)	5 वर्ष

**ब. रेजीडेंसी हेतु गिनी जाने वाली अवधि:**

वैज्ञानिकों की मूल्यांकन पदोन्नति के लिए न्यूनतम रेजीडेंसी अवधि की गणना हेतु निम्नांकित अवधियों को गिना जाएगा:

- (i) किसी अन्य वैज्ञानिक पद पर प्रतिनियुक्ति/ बाह्य सेवा (फॉरेन सर्विस) में बिताई गई अवधि, जो किसी वैज्ञानिक को विविध व्यवस्था में वैज्ञानिक अनुभव प्राप्त करने में मदद करती है।
- (ii) वैज्ञानिक ज्ञान में सुधार की दृष्टि से शैक्षणिक उपलब्धियों हेतु ली गई अध्ययन छुट्टी/कोई अन्य छुट्टी की अवधि।
- (iii) प्रतिष्ठित फैलोशिप जैसे (क) रमन रिसर्च; (ख) डीएडी; (ग) डीबीटी की ओवरसीज एसोसिएटशिप; (घ) बॉयज़कास्ट ; (ङ) सीईसी पोस्ट-डॉक्टरल; (च) इंडो-यूएस; (छ) फुलब्राइट; और (ज) हम्बोल्ट के लिए व्यतीत की गई अवधि को मूल्यांकन के लिए माना जाएगा, बशर्ते कि प्रयोगशाला/संस्थान/सीएसआईआर मुख्यालय में प्रासंगिक मूल्यांकन अवधि हेतु कम से कम दो वर्षों के लिए लिखे गए एसीआर/एपीएआर उपलब्ध हों।
- (iv) असाधारण छुट्टी (ईओएल) सहित छुट्टी की अवधि जिसे वार्षिक वेतन वृद्धि अर्जित करने हेतु गिना जाता है।
- (v) देश के भीतर अथवा बाहर पूर्णकालिक अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए प्रदान की गई असाधारण छुट्टी (ईओएल)।
- (vi) इन नियमों के अंतर्गत सीएसआईआर में वैज्ञानिक पदों पर कोई तदर्थ नियुक्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, तदर्थ वैज्ञानिक/क्लिक हायर फैलो (क्यूएचएफ)/वैज्ञानिक पूल योजना जैसे अस्थायी पदों पर दी गई सेवाओं को मूल्यांकन पदोन्नति के लाभ हेतु नहीं गिना जाएगा।

**स. रेजीडेंसी हेतु न गिनी जाने वाली अवधि:**

- (i) किसी गैर-वैज्ञानिक पद पर प्रतिनियुक्ति/ बाह्य सेवा (फॉरेन सर्विस) में बिताई गई अवधि।
- (ii) ईओएल की अवधि जिसे वेतन वृद्धि हेतु नहीं गिना जाए।
- (iii) अकार्य दिवस के रूप में मानी गई अवधि।

**15. मूल्यांकन पदोन्नति की प्रक्रिया:**

- (i) फ़ेलिसिबल कॉम्प्लीमेंटिंग के अंतर्गत मूल्यांकन पदोन्नति की प्रक्रिया इन नियमों और सीएसआईआर द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/अनुदेशों के अनुसार नियमित होगी।
- (ii) मूल्यांकन प्रक्रिया वर्ष में दो बार की जाएगी। वर्ष के जनवरी और जून के बीच मूल्यांकन पदोन्नति हेतु पात्र वैज्ञानिकों के मामलों को अग्रिम रूप से लिया जाएगा और यह प्रक्रिया उस वर्ष की पहली जनवरी से पूर्व सीएसआरएपी नियमावली, 2025

पूर्ण कर ली जाएगी। इसी प्रकार, वर्ष के जुलाई और दिसंबर के बीच मूल्यांकन पदोन्नति हेतु पात्र वैज्ञानिकों के मामलों को अग्रिम रूप से लिया जाएगा और यह प्रक्रिया उस वर्ष की पहली जुलाई से पूर्व पूर्ण कर ली जाएगी।

- (iii) वैज्ञानिक-बी (लेवल-10) से वैज्ञानिक-सी (लेवल-11); वैज्ञानिक-सी (लेवल-11) से वैज्ञानिक-डी (लेवल-12); वैज्ञानिक-डी (लेवल-12) से वैज्ञानिक-ई (लेवल-13); वैज्ञानिक-ई (लेवल-13) से वैज्ञानिक-एफ (लेवल-13ए) और वैज्ञानिक-एफ (लेवल-13ए) से वैज्ञानिक-जी (लेवल-14) तक सभी पदोन्नतियां निम्नानुसार की जाएंगी:

क) आंतरिक छानबीन समिति (आईएससी) रेजीडेंसी अवधि के अंतर्गत शामिल किए गए वर्षों के लिए उपलब्ध वैज्ञानिकों की परफॉर्मेंस मैपिंग (पीएमएस)/वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) की ग्रेडिंग/अंकों को ध्यान में रखेगी और इन नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम सीमा अंक (मिनिमम थ्रेशहोल्ड मार्क्स) प्राप्त करने पर मूल्यांकन समिति द्वारा अग्रिम विचार-विमर्श हेतु उम्मीदवारों की सिफारिश करेगी।

**स्पष्टीकरण-I:** जनवरी और जून के बीच परिपक्व होने वाले मामलों के संबंध में आईएससी पिछले वर्ष के मार्च माह तक के पीएमएस/एपीएआर को ध्यान में रखेगी (उदाहरण के लिए जनवरी - जून, 2026 की अवधि हेतु लिए गए मामलों के लिए आईएससी मार्च, 2025 तक के पीएमएस/एपीएआर को ध्यान में रखेगी)।

**स्पष्टीकरण-II:** जुलाई और दिसंबर के बीच परिपक्व होने वाले मामलों के संबंध में आईएससी पिछले वर्ष के मार्च माह तक के पीएमएस/एपीएआर को ध्यान में रखेगी (उदाहरण के लिए, जुलाई - दिसंबर, 2026 की अवधि हेतु लिए गए मामलों के लिए आईएससी मार्च, 2025 तक के पीएमएस/एपीएआर को ध्यान में रखेगी)।

ख) आंतरिक छानबीन समिति (आईएससी) द्वारा गिनी जाने वाली पीएमएस/एपीएआर की संख्या निर्धारित रेजीडेंसी अवधि के बराबर होगी, अर्थात् 3/4/5 (आंशिक पीएमएस सहित), जैसा भी मामला हो। पूर्ण पीएमएस/एपीएआर उपलब्ध न होने की स्थिति में, ठीक पहले वर्ष के पीएमएस/एपीएआर को गिना जाएगा।

ग) इसके अतिरिक्त, सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति के लिए, उसकी पहली पदोन्नति पर, रेजीडेंसी अवधि के दौरान केवल उपलब्ध पीएमएस/एपीएआर को इन नियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार मूल्यांकन समिति द्वारा अग्रिम विचार हेतु आईएससी द्वारा गिना जाएगा।

घ) सीएसआईआर द्वारा समय-समय पर पीएमएस/एपीएआर लिखने से संबंधित दिशा-निर्देशों/अनुदेशों के अनुसार पीएमएस/एपीएआर अंकों पर विचार किया जाएगा।

- ड) इसके बाद, सभी पात्र वैज्ञानिकों का मूल्यांकन 'नियम 18' के अनुसार विधिवत गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा, जो (क) वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण रेजीडेंसी अवधि की 'कार्य रिपोर्ट' और (ख) साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन को ध्यान में रखेगी।
- च) निर्धारित तारीख के भीतर वैज्ञानिक द्वारा 'कार्य रिपोर्ट' प्रस्तुत न करने को मूल्यांकन के लिए विचार किए जाने में वैज्ञानिक की ओर से जानबूझकर की गई अरुचि माना जा सकता है और नियुक्ति प्राधिकारी मूल्यांकन के अवसर को समाप्त करने पर विचार कर सकता है।

#### 16. आंतरिक छानबीन समिति (आईएससी):

प्रयोगशाला/संस्थान के निदेशक अथवा महानिदेशक, सीएसआईआर, जैसा भी मामला हो, द्वारा एक आंतरिक छानबीन समिति गठित की जाएगी, जो पीएमएस/एपीएआर में न्यूनतम औसत सीमा (मिनिमम ऐवरेज थ्रेशहोल्ड) प्रतिशत/अंकों के आधार पर निर्धारित रेजीडेंसी अवधि पूरी करने वाले पात्र वैज्ञानिकों की छानबीन करेगी और उन्हें लघुसूचीबद्ध (शॉर्टलिस्ट) करेगी, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

#### ग्रेड में वर्षों की संख्या पात्रता हेतु पीएमएस/एपीएआर स्कोर का न्यूनतम औसत प्रतिशत

लेवल	प्रथम अवसर	द्वितीय अवसर	तृतीय अवसर
वैज्ञानिक-बी से वैज्ञानिक-सी (लेवल-10 से लेवल-11)	85%	80%	75%
वैज्ञानिक-सी से वैज्ञानिक-डी (लेवल-11 से लेवल-12)	85%	80%	75%
वैज्ञानिक-डी से वैज्ञानिक-ई (लेवल-12 से लेवल-13)	85%	80%	75%
वैज्ञानिक-ई से वैज्ञानिक-एफ (लेवल-13 से लेवल-13ए)	85%	80%	75%
वैज्ञानिक-एफ से वैज्ञानिक-जी (लेवल-13ए से लेवल-14)	85%	80%	80%

क. इन नियमों में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, आंतरिक छानबीन समिति (आईएससी) किसी वैज्ञानिक को अगले उच्च ग्रेड में 'मेरिट प्रमोशन', अर्थात् न्यूनतम रेजीडेंसी अवधि में एक वर्ष की छूट, दिये जाने हेतु सिफारिश कर सकती है, बशर्ते कि उसने अपनी रेजीडेंसी अवधि के लगातार तीन वर्षों में अपने पीएमएस/एपीएआर में लगातार 90% और उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों, बशर्ते कि 90% और उससे अधिक अंकों के तीन क्रमिक अंक पीएमएस/एपीएआर में प्राप्त वास्तविक अंक हों, तथा औसत के आधार पर प्राप्त नहीं किए गए हों।

ख. परिषद में किसी वैज्ञानिक के सम्पूर्ण कैरियर में 'मेरिट प्रमोशन' का लाभ दो बार तक लागू होगा।

ग. आंतरिक छानबीन समिति (आईएससी) किसी उम्मीदवार की मूल्यांकन पदोन्नति के लिए पात्रता तय करते समय दशमलव अंक को अगले निकटतम पूर्ण अंक तक पूर्णांकित किए जाने हेतु उम्मीदवार को 0.9 अंक तक प्रदान कर सकती है।

## 17. आंतरिक छानबीन समिति (आईएससी) का गठन :

वैज्ञानिक-ई (लेवल-13) स्तर तक के वैज्ञानिकों के मामले में, प्रयोगशाला/संस्थान के निदेशक तथा सीएसआईआर मुख्यालय के मामले में महानिदेशक, सीएसआईआर आंतरिक छानबीन समिति का गठन करेंगे।

वैज्ञानिक-ई (लेवल-13) तक के मूल्यांकन के लिए आंतरिक छानबीन समिति का गठन निम्नानुसार होगा:

क्रम सं.	संगठन	भूमिका
(i)	प्रयोगशाला/संस्थान के निदेशक अथवा प्रयोगशाला के मामले में निदेशक/सीएसआईआर मुख्यालय के मामले में महानिदेशक, सीएसआईआर द्वारा नामित वैज्ञानिक/प्रौद्योगिकीविद।	अध्यक्ष
(ii)	किसी अन्य सीएसआईआर प्रयोगशाला/संस्थान/मुख्यालय से वैज्ञानिक-जी अथवा उससे उच्च स्तर का एक वैज्ञानिक।	सदस्य
(iii)	समान प्रयोगशाला/संस्थान/मुख्यालय से वैज्ञानिक-जी अथवा उससे उच्च स्तर के दो वैज्ञानिक*।	सदस्य
<p>* नोट: यदि समान प्रयोगशाला/संस्थान में वैज्ञानिक-जी स्तर का कोई वैज्ञानिक उपलब्ध नहीं है, तो उसी अनुसंधान एवं विकास क्लूस्टर की किसी अन्य प्रयोगशाला/संस्थान से वैज्ञानिक-जी स्तर के किसी वैज्ञानिक को आंतरिक छानबीन समिति में शामिल किया जा सकता है।</p> <p>कोरम: आंतरिक जांच समिति का कोरम अध्यक्ष और अन्य प्रयोगशाला/संस्थान के सदस्य सहित कम से कम दो सदस्यों से पूरा होगा।</p>		

- क. आंतरिक छानबीन समिति (आईएससी) की सिफारिशों को प्रयोगशाला/संस्थान के निदेशक/सीएसआईआर मुख्यालय के मामले में महानिदेशक, सीएसआईआर द्वारा अनुमोदित किया जाता है तथा मूल्यांकन समिति के गठन के लिए आरएबी को भेजा जाता है।
- ख. मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को लघुसूचीबद्ध (शॉर्टलिस्ट) एवं अनुशंसित किए जाने की दृष्टि से निर्धारित रेजीडेंसी अवधि पूरी करने वाले सभी वैज्ञानिकों के पीएमएस/एपीएआर की समीक्षा करने के लिए वैज्ञानिक-एफ (लेवल-13ए) से वैज्ञानिक-जी (लेवल-14) के मामले में महानिदेशक, सीएसआईआर द्वारा विषयवार आंतरिक छानबीन समितियों का गठन निम्नानुसार किया जाएगा :

क्रम सं.	संगठन	भूमिका
(i)	एक बाह्य वैज्ञानिक/प्रौद्योगिकीविद्	अध्यक्ष
(ii)	प्रयोगशाला/संस्थान के निदेशक/सीएसआईआर मुख्यालय के मामले में वैज्ञानिक-जी अथवा उससे उच्च स्तर के प्रभागीय प्रमुख।	सदस्य
(iii)	सीएसआईआर प्रयोगशाला/संस्थान/सीएसआईआर मुख्यालय से निदेशक ग्रेड के समान स्तर अथवा उच्च स्तर के दो वैज्ञानिक।	सदस्य
<b>कोरम:</b> छानबीन समिति का कोरम अध्यक्ष और कम से कम दो सदस्यों से पूरा होता है।		

ग. महानिदेशक, सीएसआईआर, वैज्ञानिक-एफ (लेवल-13ए) और उससे उच्च पदों के लिए छानबीन समिति की सिफारिशों को अनुमोदित करने वाले प्राधिकारी हैं। तत्पश्चात, आरएबी मूल्यांकन समिति का गठन करेगा।

#### 18. मूल्यांकन समिति :

(क) आरएबी के अध्यक्ष उन वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन समितियों का गठन करेंगे, जिनके नाम निदेशक/महानिदेशक, सीएसआईआर द्वारा जैसा भी मामला हो, अगले उच्च ग्रेड/पद पर पदोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए अग्रेषित/अनुमोदित किए गए हैं।

(ख) वैज्ञानिक-ई (लेवल- 13) के स्तर तक क्लस्टरवार मूल्यांकन समिति निम्नानुसार होगी:

क्रम सं.	संगठन	भूमिका
(i)	आरएबी के अध्यक्ष [तथापि, आरएबी के अध्यक्ष स्वयं द्वारा बनाए गए तथा सीएसआईआर के उपाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित सह-अध्यक्षों के पैनल में से किसी एक व्यक्ति को अपने स्थान पर मूल्यांकन समितियों का अध्यक्ष नामित कर सकते हैं]	अध्यक्ष
(ii)	महानिदेशक, सीएसआईआर द्वारा नामित वैज्ञानिक-जी (लेवल- 14) और उससे उच्च स्तर के दो विभागीय (सीएसआईआर) सदस्य	सदस्य
(iii)	आरएबी के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले दो बाह्य विशेषज्ञ	सदस्य
(iv)	प्रयोगशाला/संस्थान के निदेशक या उनके नामित व्यक्ति/सीएसआईआर मुख्यालय के मामले में महानिदेशक, सीएसआईआर द्वारा नामित व्यक्ति।	सदस्य
(v)	एससी/एसटी श्रेणी के प्रतिनिधि	सदस्य
<b>कोरम :</b> मूल्यांकन समिति की बैठक का कोरम अध्यक्ष तथा तीन सदस्यों का होता है, जिसमें कम से कम एक बाह्य विशेषज्ञ भी शामिल होता है।		

(ग) वैज्ञानिक-एफ (लेवल- 13ए) के लिए क्लस्टरवार मूल्यांकन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाएगा:

क्रम सं.	संगठन	भूमिका
(i)	आरएबी के अध्यक्ष [आपात स्थिति में, अध्यक्ष, सीएसआईआर के उपाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित पैनल में से किसी एक सह-अध्यक्ष को अपने स्थान पर मूल्यांकन समितियों के अध्यक्ष के रूप में नामित कर सकते हैं।]	अध्यक्ष
(ii)	महानिदेशक, सीएसआईआर विशिष्ट वैज्ञानिक/उत्कृष्ट वैज्ञानिक (वैज्ञानिक एच)/समान अनुसंधान एवं विकास क्लस्टर से संबंधित सीएसआईआर की किसी अन्य प्रयोगशाला/संस्थान के निदेशक को नामित कर सकते हैं।	सदस्य
(iii)	आरएबी के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले उपयुक्त स्तर के दो प्रतिष्ठित बाह्य विशेषज्ञ।	सदस्य
(iv)	आरएबी के अध्यक्ष द्वारा नामित सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उद्योग के उचित स्तर के वैज्ञानिक विभाग/अनुसंधान एवं विकास संगठन का एक प्रतिनिधि।	सदस्य
(v)	संबंधित सीएसआईआर प्रयोगशाला/संस्थान के निदेशक (मुख्यालय के मामले में कोई नहीं)।	सदस्य
(vi)	एससी/एसटी श्रेणी के प्रतिनिधि	सदस्य
<b>कोरम:</b> मूल्यांकन समिति की बैठक का कोरम अध्यक्ष तथा तीन सदस्यों का होता है, जिसमें कम से कम एक बाह्य विशेषज्ञ भी शामिल होता है।		

(घ) मूल्यांकन समिति, कार्य रिपोर्ट और साक्षात्कार में वैज्ञानिक के निष्पादन पर विचार करने के बाद, वैज्ञानिक द्वारा अर्जित निम्नांकित न्यूनतम सीमा अंकों (मिनिमम श्रेष्ठोल्ड मार्क्स) के आधार पर 'पदोन्नति के लिए उपयुक्त' अथवा 'पदोन्नति के लिए अभी तक उपयुक्त नहीं' के रूप में अनुशंसित करेगी।

स्तर	प्रथम अवसर	द्वितीय अवसर	तृतीय अवसर
वैज्ञानिक-बी से वैज्ञानिक-सी (लेवल-10 से लेवल-11)	85%	80%	75%
वैज्ञानिक-सी से वैज्ञानिक-डी (लेवल-11 से लेवल-12)	85%	80%	75%
वैज्ञानिक-डी से वैज्ञानिक-ई (लेवल-12 से लेवल-13)	85%	80%	75%
वैज्ञानिक-ई से वैज्ञानिक-एफ (लेवल-13 से लेवल-13ए)	85%	80%	75%
वैज्ञानिक-एफ से वैज्ञानिक-जी (लेवल-13ए से लेवल-14)	85%	80%	80%

- (ङ) **मेरिट प्रमोशन:** मेरिट प्रमोशन के लिए सभी स्तरों हेतु मूल्यांकन समिति द्वारा अधिकतम 10 प्रतिशत वैज्ञानिकों को रेजीडेंसी अवधि में छूट दी जा सकती है, यह छूट किसी भी एक अवसर पर एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, तथा उनके पूरे कैरियर में अधिकतम दो अवसरों तक सीमित होगी।

स्पष्टीकरण:

- i. 10 प्रतिशत वैज्ञानिकों का तात्पर्य आरएबी द्वारा मूल्यांकन वर्ष में मूल्यांकन हेतु विचार किए गए वैज्ञानिकों की कुल संख्या में से 10 प्रतिशत से है।
  - ii. 10 प्रतिशत की गणना करते समय, यदि कोई भिन्न (फ्रैक्शन) हो तो उसे अगले पूर्णांक तक पूर्णांकित किया जाएगा।
- (च) जो वैज्ञानिक 'पदोन्नति' के लिए अभी तक योग्य नहीं' पाए जाएंगे, मेरिट प्रमोशन हेतु उन पर अगले वर्ष विचार किया जाएगा।
- (छ) ऐसे वैज्ञानिक के मामले में, जिसका मूल्यांकन किया गया है और उसे पदोन्नति के लिए योग्य पाया गया है, लेकिन वह उच्च अध्ययन करने अथवा सीएसआईआर कार्यक्रमों से सीधे या निकट संबंध रखने वाले व्यावसायिक और तकनीकी विषयों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विधिवत स्वीकृत अध्ययन छुट्टी (किसी अन्य छुट्टी के साथ संयुक्त) पर अथवा संगठन के बाहर प्रतिनियुक्ति पर दूर होने के कारण पदोन्नति की तारीख पर उच्च ग्रेड का कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ है, तो ड्यूटी पर लौटने पर अगले उच्च ग्रेड में उसकी पदोन्नति उस तारीख से मानी जाएगी, जिस तारीख को वैज्ञानिक ने पदोन्नत ग्रेड/पद का कार्यभार ग्रहण किया है।
- (ज) एक मूल्यांकन वर्ष के लिए एक अनुसंधान एवं विकास समूह में एक से अधिक मूल्यांकन समितियां गठित की जा सकती हैं और उन्हें अलग-अलग तारीखों और/अथवा अलग-अलग स्थानों पर आयोजित किया जा सकता है।
- (झ) ऐसे वैज्ञानिकों जो निलंबित हैं/जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही लंबित है, के मूल्यांकन की प्रक्रिया:
- ऐसे वैज्ञानिक जो निलंबित हैं/जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही लंबित है, उन वैज्ञानिकों का मूल्यांकन और वैज्ञानिकों के मूल्यांकन पर दंड का प्रभाव भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों तथा सीएसआईआर द्वारा प्रशासनिक संवर्गों पर लागू किए गए अनुदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
- (ज) वैज्ञानिकों को केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए स्वीकृत संशोधित एसीपी योजना (एमएसीपी) के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। वैज्ञानिक, जिसे एमएसीपी के अंतर्गत कोई ग्रेड प्रदान किया गया है, पर योजना की पात्रता और अन्य प्रावधानों के अनुसार अगले ग्रेड के लिए विचार किया जा सकता है। इससे

वैज्ञानिकों के विकास के लिए एक वैकल्पिक माध्यम उपलब्ध होने और योजना के अंतर्गत मूल्यांकन हेतु अपेक्षित दृढ़ता बनी रहने की उम्मीद है। स्पष्टता के लिए कुछ दृष्टांत निम्नवत हैं :

**दृष्टांत-1-** इस योजना के अंतर्गत वैज्ञानिक 'बी' को पदोन्नति/उन्नयन नहीं मिलता है, लेकिन उस पर विचार किया जाता है। वह समय-समय पर संशोधित दिनांक 22.10.2019 के का. ज्ञा. सं. 35034/3/2015-स्था. (डी) द्वारा अधिसूचित एमएसीपी के प्रावधानों के अधीन 10/20/30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर वैज्ञानिक 'सी', 'डी' और 'ई' ग्रेड का हकदार माना जाएगा।

**दृष्टांत-2-** इस योजना के अंतर्गत वैज्ञानिक 'बी' का 4 वर्षों के बाद दूसरे अवसर में वैज्ञानिक 'सी' के पद पर पदोन्नति/उन्नयन होता है। निर्धारित रेजीडेंसी अवधि के बाद, वह वैज्ञानिक 'डी' के पद पर उन्नयन हेतु लगातार तीन वर्षों तक योजना के अंतर्गत सफलता नहीं प्राप्त करता है। वैज्ञानिक 'सी' के ग्रेड में दस वर्ष पूर्ण करने के पश्चात्, अर्थात् 14 वर्षों की सेवा के बाद, वह दिनांक 22.10.2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. 35034/3/2015-स्था.(डी) द्वारा अधिसूचित एमएसीपी के प्रावधानों के अधीन योजना के अंतर्गत वैज्ञानिक 'डी' के पद पर अपग्रेड होगा।

वैज्ञानिक 'डी' ग्रेड में निर्धारित 4 वर्षों की रेजीडेंसी अवधि के बाद, योजना के अंतर्गत वैज्ञानिक 'ई' के पद पर पदोन्नति/उन्नयन के लिए उस पर पुनः विचार किया जाएगा। यदि वह लगातार तीन वर्षों तक सफलता प्राप्त नहीं करता है, तो वैज्ञानिक 'डी' ग्रेड में 10 वर्ष पूर्ण करने के उपरान्त, अर्थात् 24 वर्षों की सेवा के बाद, उसे वैज्ञानिक 'ई' के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। वैज्ञानिक 'एफ' और वैज्ञानिक 'जी' के पद पर अगली पदोन्नति/उन्नयन केवल योजना के अन्तर्गत ही की जाएगी क्योंकि वैज्ञानिक को तीन उन्नयन प्राप्त हो जाने से एमएसीपीएस के तहत आगे कोई उन्नयन स्वीकार्य नहीं होगा।

**दृष्टांत-3 -** यदि इस योजना के अंतर्गत किसी वैज्ञानिक को तीन पदोन्नति/उन्नयन प्राप्त हो जाते हैं, तो एमएसीपी योजना के अंतर्गत अग्रिम किसी भी उन्नयन हेतु कोई दावा नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस एमएसीपी योजना में क्रमशः 10, 20 और 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर न्यूनतम स्तर में केवल तीन वित्तीय उन्नयन की अनुमति है।

(ट) इन नियमों के अंतर्गत सीएसआईआर-प्रयोगशाला/संस्थान/मुख्यालय में प्रबंधन/ प्रशासनिक कार्य करने वाले वैज्ञानिकों की मूल्यांकन पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाएगा, उन्हें एमएसीपी के तहत केवल उन्नयन का लाभ दिया जाएगा।

**स्पष्टीकरण –** निम्नांकित गतिविधियों को प्रबंधन/प्रशासनिक कार्य नहीं माना जाएगा:

i. **मौलिक/मूल अनुसंधान:** नवीन वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मौलिक अनुसंधान, जो आवश्यक रूप से किसी विशिष्ट व्यावहारिक उद्देश्य या अनुप्रयोग की ओर निर्देशित न हो; वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं/संस्थानों में कार्य करना, संगठन में शामिल होने के बाद मूलभूत अनुसंधान में

डॉक्टरल/पोस्ट डॉक्टरल डिग्री प्राप्त करने में बिताया गया समय, आदि को योजना के प्रयोजन हेतु क्षेत्र अनुभव माना जाएगा।

ii. **अनुप्रयुक्त अनुसंधान:** किसी विशिष्ट व्यावहारिक लक्ष्य या उद्देश्य की ओर निर्देशित नवीन वैज्ञानिक अथवा तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने हेतु मौलिक अनुसंधान, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं/संस्थानों में कार्य करना, संगठन में शामिल होने के बाद अनुप्रयुक्त अनुसंधान में डॉक्टरल/पोस्ट डॉक्टरल डिग्री प्राप्त करने में बिताया गया समय आदि योजना के प्रयोजन हेतु क्षेत्र अनुभव माना जाएगा।

iii. **प्रायोगिक विकास:** नवीन अथवा मूलतः उन्नत सामग्री, उपकरण, उत्पाद, प्रक्रियाएं, प्रणालियां अथवा सेवाएं तैयार किए जाने की दिशा में वैज्ञानिक ज्ञान का अनुप्रयोग; 'क्षेत्र अनुभव' विभाग की कार्य प्रणाली (वर्क प्रोफाइल) पर निर्भर करेगा। निर्धारिक कारक यह होगा कि कार्य वैज्ञानिक ज्ञान के नियमित उपयोग का न हो बल्कि उसमें नवीन/नवोन्मेषी प्रणालियों, प्रथाओं, मॉडलों के निर्माण के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का अनुप्रयोग सम्मिलित हो।

iv. वैज्ञानिक गतिविधियों और सेवाओं के संवर्धन के संदर्भ में, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय गतिविधियाँ अनुसंधान एवं विकास से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हैं। अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और संस्थानों में कार्य करना, मिशन मोड में संचालित वैज्ञानिक परियोजनाएँ, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर कार्य करना आदि इस योजना के अंतर्गत क्षेत्र अनुभव का अंश माने जाएंगे।

v. वैज्ञानिक/तकनीकी/प्रौद्योगिकीय ज्ञान के अनुप्रयोग की आवश्यकता वाली योजनाएं/परियोजनाएं तैयार करना और उनका कार्यान्वयन करना, उनके निष्पादन की मॉनीटरिंग करना; तथा उद्योगों को सेवाएं प्रदान करना, इस योजना के प्रयोजन हेतु क्षेत्र अनुभव माने जाएंगे।

## भाग-IV: भर्ती एवं मूल्यांकन बोर्ड

### 19. भर्ती एवं मूल्यांकन बोर्ड (आरएबी):

(क) भर्ती एवं मूल्यांकन बोर्ड (आरएबी) सीएसआईआर के अंतर्गत एक इकाई है जिसका गठन सीएसआईआर के शासी निकाय द्वारा दिनांक 01.05.2002 को आयोजित उसकी 153वीं बैठक में सीएसआईआर के वैज्ञानिकों की भर्ती और कैरियर प्रगति (मूल्यांकन पदोन्नति) के लिए एक प्रभावी, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली के संचालन/सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था।

(ख) भर्ती एवं मूल्यांकन बोर्ड (आरएबी) का गठन निम्नानुसार है:

1.	अध्यक्ष, भर्ती एवं मूल्यांकन बोर्ड (आरएबी)	(सीएसआईआर के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा)
2.	एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक *	सदस्य (सीएसआईआर शासी निकाय के वर्तमान सदस्य)
3.	एक सह-अध्यक्ष	सदस्य (सीएसआईआर के उपाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित सह-अध्यक्षों के पैनल से)
4.	सीएसआईआर प्रयोगशाला/संस्थान के निदेशक	सदस्य
5.	अध्यक्ष, भर्ती एवं मूल्यांकन केंद्र (आरएसी), डीआरडीओ/अध्यक्ष, कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (एएसआरबी), आईसीएआर	सदस्य
6.	प्रमुख, भर्ती एवं मूल्यांकन बोर्ड (आरएबी)	सदस्य-संयोजक

\* नोट:

- सीएसआईआर के नियमों और विनियमों के नियम 29(v) के अन्तर्गत सीएसआईआर के शासी निकाय के सदस्य के रूप में नामित एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक/प्रौद्योगिकीविद/शिक्षाविद।

### (ग) बोर्ड का कार्यकाल:

भर्ती एवं मूल्यांकन बोर्ड (आरएबी) का कार्यकाल इसकी अधिसूचना की तारीख से तीन (3) वर्ष का होगा।

#### (घ) बोर्ड की शक्तियां और कार्यः

- (i) बोर्ड, परिषद के वैज्ञानिकों की भर्ती और मूल्यांकन हेतु नीतिगत पहलों की अनुशंसा कर सकता है। बोर्ड प्रचालन संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के उपाय सुझा सकता है और इन नियमों में आशोधन/संशोधन की अनुशंसा कर सकता है। तथापि, इन नियमों में संशोधन करने का अधिकार सीएसआईआर के शासी निकाय के पास होगा।
- (ii) बोर्ड सीएसआईआर स्टाफ की भर्ती/मूल्यांकन प्रक्रियाओं की बेहतर सुविधा के लिए देश भर में अपने क्षेत्रीय केंद्र स्थापित कर सकता है।
- (iii) बोर्ड सीएसआईआर में वेतन स्तर एल-10 और उससे ऊपर के तकनीकी पदों पर भी भर्ती करेगा।

#### (ङ) बोर्ड के अध्यक्षः

- (i) सीएसआईआर-आरएबी की अध्यक्षता सीएसआईआर के अध्यक्ष (प्रधानमंत्री) द्वारा नियुक्त अध्यक्ष (पूर्णकालिक पद) द्वारा की जाएगी। सीएसआईआर-आरएबी के अन्य सदस्यों की नियुक्ति/नामांकन उपाध्यक्ष, सीएसआईआर द्वारा की जाएगी।
- (ii) आरएबी अध्यक्ष की सेवा शर्तें निम्नानुसार होंगी:

पद का नाम	:	अध्यक्ष, आरएबी
वेतनमान	:	वेतन स्तर -16
नियुक्ति प्राधिकारी	:	अध्यक्ष, सीएसआईआर
अधिकतम आयु सीमा	:	67 वर्ष
पात्रता	:	सेवानिवृत्त प्रतिष्ठित वैज्ञानिक/प्रौद्योगिकीविद/तकनीकी विशेषज्ञ (टेक्नोक्रेट)
कार्यकाल	:	3 वर्ष या 70 वर्ष तक, जो भी पहले हो।
चयन विधि	:	असाधारण परिस्थितियों में, इस कार्यकाल को 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जा सकता है। सीएसआईआर के उपाध्यक्ष द्वारा नियुक्त छानबीन एवं चयन समिति द्वारा

- (iii) आरएबी के अध्यक्ष का चयन महानिदेशक, सीएसआईआर की सिफारिश पर उपाध्यक्ष, सीएसआईआर द्वारा गठित की गई "छानबीन एवं चयन समिति" द्वारा किया जाएगा।
- (iv) किसी भी आपातस्थिति में या पद भरने में विलम्ब होने पर या किसी भी कारण से अध्यक्ष की अनुपलब्धता के कारण, उपाध्यक्ष, सीएसआईआर की सिफारिशों के आधार पर अध्यक्ष, सीएसआईआर अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकते हैं।
- (v) अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि का होगा, जिसे अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक या उस समय तक जब वह 70 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, तक बढ़ाया जा सकता है। अध्यक्ष की नियुक्ति की निबंधन और शर्तें वही होंगी जिन्हें सीएसआईआर के अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किया जाएगा।
- (vi) अध्यक्ष "सह-अध्यक्षों का पैनल" प्रस्तुत करेंगे, जिसे सीएसआईआर के उपाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। इस पैनल की वैधता इसकी अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष तक रहेगी। तथापि, पैनल की अवधि के दौरान, उपाध्यक्ष, सीएसआईआर के अनुमोदन से किसी भी नाम को हटाया अथवा जोड़ा जा सकता है।
- (vii) अध्यक्ष 'नियम 11' में यथा विनिर्दिष्ट वैज्ञानिकों की भर्ती के लिए चयन समितियों का गठन करेंगे।
- (viii) अध्यक्ष 'नियम 18' में यथा विनिर्दिष्ट वैज्ञानिकों के मूल्यांकन/पदोन्नति के लिए मूल्यांकन समितियों का गठन करेंगे।
- (ix) मूल्यांकन समितियों की बैठकें अध्यक्ष, आरएबी के पूर्व अनुमोदन से आयोजित की जाएंगी।
- (x) अध्यक्ष चयन समितियों और मूल्यांकन समितियों की सभी कार्यवाहियों की पुष्टि करेंगे।
- (xi) कार्य की अनिवार्यता की स्थिति में, अध्यक्ष वैज्ञानिकों की भर्ती और मूल्यांकन के संबंध में निर्णय ले सकते हैं जिसे बोर्ड द्वारा लिया जाना आवश्यक है। तत्पश्चात, बोर्ड के सदस्यों के बीच प्रचालित करके अथवा बोर्ड की विशेष बैठक बुलाकर इसे अनुसमर्थित किया जा सकता है।
- (xii) इन नियमों में पूर्व विनिर्दिष्ट प्रावधानों को छोड़कर, बोर्ड के अध्यक्ष आरएबी की कार्यप्रणाली को सुगम बनाने हेतु भर्ती और मूल्यांकन से संबंधित प्रक्रियाओं एवं प्रारूपों की समीक्षा करने और उन्हें तैयार करने के लिए स्वतंत्र होंगे। तथापि, ऐसी प्रक्रियाएं इन नियमों के मौजूदा प्रावधानों के विरोधाभास में नहीं होंगी।

**(च) आरएबी का सचिवालय:**

आरएबी का एक सचिवालय आरएबी प्रमुख के नियंत्रण में होगा, जो आरएबी अध्यक्ष को रिपोर्ट करेगा। आरएबी प्रमुख के निम्न उत्तरदायित्व होंगे:

- (i)** आरएबी सचिवालय के सभी नियमित दैनिक प्रशासन का प्रभारी होगा।
- (ii)** प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के संबंध में आरएबी सचिवालय/कार्मिकों का नियंत्रण अधिकारी होगा।
- (iii)** चयन समितियों और मूल्यांकन समितियों के लिए सह-अध्यक्षों के पैनल का मसौदा तैयार करने में सहायता प्रदान करेगा।
- (iv)** चयन समितियों और मूल्यांकन समितियों के गठन में सहायता प्रदान करेगा।
- (v)** आरएबी के कार्मिकों के आधिकारिक कर्तव्यों से संबंधित उनके दौरों को मंजूरी देगा।
- (vi)** बोर्ड की विभिन्न समितियों की बैठकों में आमंत्रित विशेषज्ञों के साथ-साथ व्यक्तिगत विशेषज्ञों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता/मानदेय/विविध व्यय स्वीकृत करेगा और नियमानुसार भुगतान को मंजूरी देगा।
- (vii)** आरएबी की पूँजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनुशंसा करेगा।
- (viii)** शक्तियों के प्रत्यायोजन और विषय पर विद्यमान दिशा-निर्देशों/नियमों के प्रावधानों के अधीन बोर्ड बजट शीर्षों से व्यय स्वीकृत करेगा।
- (ix)** सीएसआईआर के समक्ष आरएबी की वार्षिक बजटीय/मानव संसाधन/लॉजिस्टिक आवश्यकताएं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा।

## भाग-V: सामान्य प्रावधान

### 20. वेतन विनियमन:

इन नियमों के अंतर्गत नियुक्ति/मूल्यांकन पदोन्नति पर वैज्ञानिक का वेतन, परिषद कर्मचारियों पर लागू केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

### 21. अग्रिम वेतन वृद्धि:

- (क) चयन समिति उम्मीदवार की समग्र योग्यता (मेरिट) को ध्यान में रखते हुए अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान करने की अनुशंसा कर सकती है। ऐसा करते समय, उम्मीदवार की उपलब्धियों/असाधारण रूप से उत्कृष्ट निष्पादन/कार्य का विवरण "चयन समिति की कार्यवाही" में विशेष रूप से उल्लिखित किए जाएं ताकि अग्रिम वेतन वृद्धि की अनुशंसा का औचित्य और कारण प्रस्तुत किया जा सके।
- (ख) चयन समिति द्वारा अनुशंसित तीन (3) अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रयोगशाला/संस्थान के निदेशक द्वारा उन चयनों के संबंध में प्रदान की जा सकती हैं जिनके लिए वे नियुक्ति प्राधिकारी हैं। चयन समिति द्वारा अनुशंसित तीन (3) से अधिक और पाँच (5) तक वेतन वृद्धि महानिदेशक, सीएसआईआर द्वारा प्रदान की जा सकती हैं। चयन समिति द्वारा अनुशंसित पाँच (5) से अधिक और सात (7) तक वेतन वृद्धि उपाध्यक्ष, सीएसआईआर द्वारा प्रदान की जा सकती है।

### 22. अयोग्यता:

कोई भी व्यक्ति, - (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति/पत्नी जीवित है, अथवा (ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, इन नियमों के अधीन किसी भी ग्रेड/पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा: बशर्ते कि परिषद, यदि संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के परिचालन से छूट दे सकेगी।

### 23. परिवीक्षा:

- (क) इन नियमों में उल्लिखित किसी भी पद पर सीधे भर्ती किए गए वैज्ञानिकों को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

- (ख) उपर्युक्त परिवीक्षा अवधि को नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है।
- (ग) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो ऐसी विस्तार अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी सिवाय तब जबकि अधिकारियों के विरुद्ध लंबित किसी विभागीय या कानूनी कार्यवाही के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाना आवश्यक हो।
- (घ) परिवीक्षा के दौरान, वैज्ञानिक को ऐसा अनिवार्य ‘प्रवेश प्रशिक्षण’ लेना आवश्यक होगा जिसे सीएसआईआर द्वारा समय-समय पर ऐसे प्रशिक्षण को संचालित करने के लिए प्राधिकृत उपर्युक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए।

#### **24. परिवीक्षा की समाप्ति:**

भारत सरकार द्वारा निर्धारित और सीएसआईआर द्वारा समय-समय पर लागू किए गए प्रासंगिक नियमों और आदेशों के अनुसार परिवीक्षा अवधि या विस्तारित परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो, के पूरा होने पर नियुक्ति प्राधिकारी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वैज्ञानिक के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करेगा और परिवीक्षा के सफल समापन की घोषणा करेगा, अथवा परिवीक्षा अवधि को आगे बढ़ाएगा या परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाओं को, जैसा भी मामला हो, समाप्त करेगा।

#### **25. निर्वहन:**

- (i) इन नियमों में उल्लिखित किसी भी ग्रेड/पद पर सीधे नियुक्त कोई वैज्ञानिक, जिसका केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा स्वायत्त निकायों आदि के अधीन किसी भी पद पर कोई धारणाधिकार (लियन) नहीं है, के परिवीक्षा पर रहते हुए बिना किसी सूचना के किसी भी समय सेवामुक्त किया जा सकेगा, यदि-
- (क) परिवीक्षा के दौरान उसके कार्य-निष्पादन अथवा आचरण के आधार पर उसे सेवा में आगे बनाए रखने के लिए अयोग्य माना जाता है; अथवा
- (ख) उसकी राष्ट्रीयता, आयु, स्वास्थ्य या पूर्ववृत्त से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी को इस बात की पुष्टि हो जाती है कि वह सेवा का सदस्य होने के लिए अपात्र है अथवा अन्यथा अनुपयुक्त है।
- (ii) इन नियमों में उल्लिखित किसी भी ग्रेड/पद पर सीधे नियुक्त कोई वैज्ञानिक, जो केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या स्वायत्त निकायों आदि के अधीन किसी पद पर धारणाधिकार (लियन) रखता है, को परिवीक्षा पर रहते हुए, उप-नियम (i) में विनिर्दिष्ट किसी भी परिस्थिति में किसी भी समय इस पद पर वापस लाया जा सकेगा।
- (iii) इन नियमों में उल्लिखित किसी भी ग्रेड में सीधे नियुक्त कोई वैज्ञानिक, जिसे परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसके अंत में या परिवीक्षा की विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, के अंत में ग्रेड में स्थायीकरण या आगे बने

रहने के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता है, तो उसे इस नियम के उप-नियम (i) अथवा उप-नियम (ii) के अनुसार, जैसा भी मामला हो, सेवामुक्त अथवा प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

#### 26. स्थायीकरण:

- (क) सीएसआईआर सेवा में आने के बाद (इन नियमों के तहत किसी भी ग्रेड/पद पर) और सक्षम प्राधिकारी के संतुष्ट होने पर परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद, वैज्ञानिक सेवा में स्थायीकरण के पात्र होंगे।
- (ख) सेवा में प्रवेश स्तर पर केवल एक बार ही स्थायीकरण किया जाएगा।
- (ग) सामान्यतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित तथा सीएसआईआर द्वारा समय-समय पर लागू सेवा में स्थायीकरण का प्रावधान सेवा के सदस्यों पर लागू होगा।

#### 27. प्रशिक्षण:

सीधे भर्ती किए गए या उच्च पदों पर पदोन्नत किए गए वैज्ञानिकों के लिए सीएसआईआर द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रशिक्षण ग्रहण करना आवश्यक है।

#### 28. स्थानांतरण एवं तैनाती:

- (क) सीएसआईआर सेवा में कार्यरत सभी वैज्ञानिक भारत में अथवा उसके बाहर कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे। महानिदेशक, सीएसआईआर को जनहित में किसी भी वैज्ञानिक को एक प्रयोगशाला/संस्थान से दूसरे प्रयोगशाला/संस्थान, जिनमें उनके विस्तार/क्षेत्रीय केंद्र भी शामिल हैं, में स्थानांतरित करने का अधिकार होगा।
- (ख) प्रयोगशाला/संस्थान के निदेशक को किसी भी वैज्ञानिक को प्रयोगशाला/संस्थान के मुख्यालय से उसके विस्तार/क्षेत्रीय केन्द्रों में और विलोमतः स्थानांतरित करने का अधिकार होगा।

#### 29. विशेष निर्देश:

सीएसआईआर के महानिदेशक समय-समय पर इन नियमों के किसी भी प्रावधान के संचालन में आने वाली कठिनाइयों को कम करने अथवा दूर करने के लिए आवश्यक सामान्य या विशेष निर्देश जारी कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, सीएसआईआर मुख्यालय समय-समय पर आरएबी के परामर्श से इन नियमों के कार्यन्वयन संबंधी कार्य-रीति की समीक्षा कर सकता है।

#### 30. पात्रता निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तारीख:

आयु-सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि के संबंध में, किसी उम्मीदवार की पात्रता निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (অসম, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম, মণিপুর, নাগালেঁড়, ত্রিপুরা, সিকিম, লদ্ধাখ কে কেন্দ্র শাসিত প্রদেশ, হিমাচল

प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उप संभाग, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह या लक्ष्मीप के उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्राप्त किए जाने की अंतिम तारीख निर्णयिक तारीख नहीं होगी)।

**31. सीधी भर्ती हेतु लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलावा पत्र (कॉल लेटर):**

इस नियम के अंतर्गत आने वाले किसी भी पद पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को सूचना लिखित परीक्षा/साक्षात्कार की तारीख से कम से कम 21 दिन पूर्व (i) पंजीकृत डाक द्वारा या (ii) स्पीड पोस्ट द्वारा या (iii) कोरियर द्वारा या (iv) पोर्टल से डाउनलोड करने हेतु ई-मेल और एसएमएस द्वारा भेजी जानी चाहिए।

**32. विनियम:**

इन नियमों को प्रभावी करने के प्रयोजनार्थ ऐसे सभी विषयों, जिनके लिए प्रावधान आवश्यक या समीचीन हैं, के लिए प्रावधान किए जाने हेतु इन नियमों के अनुसरण में विनियम बनाए जा सकेंगे जो इन नियमों से सुसंगत न हों।

**33. अवशिष्ट मामले:**

ये नियम, इन नियमों के अंतर्गत किसी भी ग्रेड में शामिल वैज्ञानिक कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति से संबंधित सभी मौजूदा नियमों का उस सीमा तक अधिक्रमण करेंगे, जहाँ तक मौजूदा नियम इन नियमों से असंगत हैं। इन नियमों अथवा इनके अंतर्गत बनाए गए या जारी किए गए विनियमों या आदेशों या विशेष आदेशों द्वारा विशिष्ट रूप से समिलित न किए गए मामलों के संबंध में, इन नियमों के अंतर्गत किसी भी ग्रेड में शामिल वैज्ञानिक, सीएसआरएपी नियमावली, 2001 के अंतर्गत लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

**34. पीएमएस/एपीएआर एवं कार्य रिपोर्ट:**

वैज्ञानिकों की निष्पादकता मैपिंग (पफर्मेंस मैपिंग-पीएमएस)/वार्षिक निष्पादकता मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) और वैज्ञानिकों की कार्य रिपोर्ट सीएसआईआर द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुदेशों, समय-सारिणी और प्रारूपों के अनुसार रिकॉर्ड की जाएगी।

**35. छूट देने का अधिकार:**

जहां शासी निकाय, सीएसआईआर की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह आदेश द्वारा और लिखित रूप में रिकॉर्ड किए कारणों से, किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकती है।

### **36. निरसन और बचतः**

सीएसआईआर में वैज्ञानिकों की भर्ती और मूल्यांकन पदोन्नति से संबंधित "सीएसआईआर वैज्ञानिक भर्ती और मूल्यांकन पदोन्नति (सीएसआरएपी) नियमावली, 2001" को एतद्वारा निरस्त किया जाता है, बशर्ते कि पिछले नियमों/विनियमों के अंतर्गत की गई कोई भी कार्रवाई या किया गया कार्य जो ऐसा होने से ठीक पहले लागू कोई भी नियम, जहाँ तक वह इन नियमों के प्रावधानों से असंगत न हो, इन नियमों के संगत प्रावधानों के अंतर्गत जारी, निर्मित, स्वीकृत, किया गया या लिया गया माना जाएगा । सभी मौजूदा वैज्ञानिक स्वतः ही इन नए नियमों के अंतर्गत आ जाएँगे ।

### **37. व्याख्या:**

इन नियमों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में यदि कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो यह मामला महानिदेशक, सीएसआईआर को भेजा जाएगा और उनका निर्णय अंतिम होगा ।

### **38. नियमों में संशोधनः**

इन नियमों के किसी भी या सभी प्रावधानों में संशोधन, आशोधन, परिवर्तन, वापसी, निलंबन और छूट सीएसआईआर के शासी निकाय के पूर्वानुमोदन से दी जाएगी ।

\*\*\*\*\*